



डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : 1952 / फा0सं0-499 / एच0ओ0डी0 / डॉ.श.मि.रा.पु.वि. / 2025-26

दिनांक 22 जनवरी, 2026

// कार्यालय-आदेश //

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा-28 में व्यवस्थानुसार "(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागाध्यक्ष होगा। (2) विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियाँ और सेवा शर्तें वहीं होंगी जैसा विहित किया जाए"।

तत्क्रम में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-5 में विभागों के अध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में धारा-5.05 से 5.09 में दी गई व्यवस्था एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश सं0-12/06/65-3-2014 दिनांक: 10.01.2014 में विहित व्यवस्था के क्रम में प्रो0 वी0 के0 सिंह, संकायाध्यक्ष, पैरामेडिकल रिहैबिलीटेशन साइन्सेज को, प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स विभाग तथा आडियोलॉजी एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी विभाग का विभागाध्यक्ष अग्रिम आदेशों तक के लिए नियुक्त किया जाता है।

विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं प्रथम परिनियमावली में दी गई संगत व्यवस्थाओं के अधीन अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा।

इस दायित्व के लिए विभागाध्यक्ष को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन, भत्ते अथवा मानदेय आदि देय नहीं होगा।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
4. प्रो0 वी0 के0 सिंह, संकायाध्यक्ष, पैरामेडिकल रिहैबिलीटेशन साइन्सेज।
5. सम्बन्धित विभाग के समस्त शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
6. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित शिक्षकवृन्द की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
8. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव